

पत्र सं०-एम-4-53/2007...6482.../वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार ।

पटना-15, दिनांक-10.06.2025

विषय:- विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग:- वित्त विभागीय पत्रांक-1767, दिनांक-19.02.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्र द्वारा योजनाओं के समुचित एवं ससमय बाधारहित क्रियान्वयन तथा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत है ।

2. सम्यक विचारोपरांत उक्त दिशा-निर्देश को निम्नवत संशोधित किया जाता

है:-

(क) तकनीकी प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा ही दी जाए एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व संबंधित तकनीकी पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि योजना का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति पूर्णरूपेण सही हो ।

(ख) जिन योजनाओं में भू-अर्जन की भी कार्रवाई की जानी है, उन मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना का कार्यदिश निर्गत करने के पूर्व कम से कम 80 प्रतिशत भूमि का अर्जन/दखल-कब्जा कर लिया गया हो तथा 80 प्रतिशत भूमि के अर्जन/दखल-कब्जा के उपरांत ही असैनिक कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जाए ।

3. उपर्युक्त प्रावधान सभी योजनाओं में लागू होंगे ।

4. अतः अनुरोध है कि विषयांकित स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में उक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

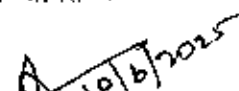

(अजय कुमार ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त ।

ज्ञापांक-एम-4-53/2007...6482.../वि०,

पटना, दिनांक-10.06.2025

प्रतिलिपि:-विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


संयुक्त आयुक्त ।